



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122025-268868
CG-DL-E-29122025-268868

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5832]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025/पौष 5, 1947

No. 5832]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6032(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 1520(अ), तारीख 28 मार्च 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र, संख्या 1502 भाग II, खण्ड (3), उप-खण्ड(ii) तारीख 28 मार्च 2025, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में कांडला से उत्तरप्रदेश राज्य में गोरखपुर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां सम्बन्धित जनता को को तारीख 02 जून, 2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में श्री अवलाभाई खतराभाई बारीआ सेवानिवृत्त प्रांत अधिकारी / नायब कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, आई.एच.बी. लिमिटेड, कांडला गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना, वडोदरा (गुजरात) ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतयः उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची				
तालुका – गांधीनगर	जिला: – गांधीनगर	राज्य - गुजरात		
गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
सरढव	1708	00	03	85

[फा. सं. 11025(15)/11/2019-ओआर-1-भाग(1)/ई-45901]]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2025

S.O. 6032(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published Vide Gazette No.1502 PART II—Section 3 Sub-section (ii) dated 28 March 2025, S.O. No. 1520(E) dated 28 March 2025 issued under sub-section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Taluka – Gandhinagar, District Gandhinagar in Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum product from Kandla in the State Gujarat to Gorakhpur in the State Uttar Pradesh by the IHB Ltd. for implementing the “Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project”

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the concerned public up to 02.06.2025 And whereas, Mr. Avalabhai Khatarabhai Baria, Retired Prant Officer/ Deputy Collector, Competent Authority, IHB Ltd, Kandla Gorakhpur L.P.G. Pipeline Project, Vadodara (Gujarat) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to the Central Government.

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceedings would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
Taluka:- Gandhinagar		District:- :- Gandhinagar		State :- Gujarat	
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Sardhav	1708	00	03	85

[F. No. R- 11025(15)/11/2019-OR-I-Part(1)/E-45901]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.